



राजस्थान आवासन मण्डल

भविष्य के बाजार में बनें, आप भी भागीदार
सूर्यनगरी जोधपुर की प्रतिष्ठित कॉलोनी चौपासनी आवासीय योजना जोधपुर में व्यावसायिक भूखण्ड की



भव्य खुली नीलामी

खुली नीलामी दिनांक
14.03.19 समय प्रातः
11:30 बजे से 3:00
बजे तक

क्र.सं.	व्यावसायिक बड़ा भूखण्ड का नं.	कॉर्नर/ सामान्य	भूखण्ड का क्षेत्रफल /माप आदि का विवरण	न्यूनतम बिड मूल्य (प्रति वर्गमीटर)	संलग्न की जाने वाली अमानत राशि
01	02	03	04	05	06
	व्यावसायिक भूखण्ड उप आवासन आयुक्त वृत्त द्वितीय के कार्यालय के पास सेक्टर 9 व 12 के मध्य में चौ.हा.बा. जोधपुर	कॉर्नर	878.73 वर्गमीटर	90000.00	3000000.00

नोट—उपरोक्त वर्णित भूखण्ड पर अधिकतम भूमि का आच्छादित क्षेत्रफल, ऊँचाई एफ.ए.आर., पार्किंग, सेटबैक इत्यादि वर्तमान में प्रचलित जोधपुर विकास प्राधिकरण विनियम के अनुसार देय होगी ऊँचाई एयरपोर्ट ऑथोरिटी की अनुमति अनुसार व जोधपुर विकास प्राधिकरण विनियम के अनुसार जो भी कम हो मान्य होगी।

मुख्य विशेषताएं – व्यावसायिक भूखण्ड चौपासनी आवासीय योजना जोधपुर की मुख्य सड़क पर स्थित है रेल्वे स्टेशन से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अधिक जानकारी के लिए मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.rajasthan.gov.in देखे अथवा संबंधित आवासीय अभियंता के कार्यालय में सम्पर्क करें।

नियम व शर्तें: 1. प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिये बोलीदाता को न्यूनतम बिड मूल्य का 5 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। तथा राशि रुपये 10.00 करोड़ से अधिक के न्यूनतम बोली मूल्य पर अमानत राशि के रूप में रुपये 50.00 लाख अथवा न्यूनतम बिड मूल्य का 05 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, जमा करानी होगी। 2. उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा कराई गई राशि को समायोजित करते हुये 72 घन्टे में सम्बन्धित आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड प्रथम जोधपुर के कार्यालय में जमा करानी होगी। सभी राशियाँ बैंकर्स चैक/डी.डी. के द्वारा जो राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुरके नाम देय होगा जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अन्तिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस में जमा करानी होगी। उक्त राशि जमा न होने पर नीलामी निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। उच्चतम बोलीदाता द्वारा 72 घण्टे में 10 प्रतिशत राशि जमा कराने के उपरान्त नीलामी स्वीकृती हेतु मुख्यालय प्रेषित की जावेगी। राजस्थान आवासन मण्डल मुख्यालय को बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार होगा। 3. शेष राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नहीं करता है। तो जमा राशि जब्त कर ली जावेगी और बोली स्वतः निरस्त हो जावेगी। 4. नीलामी से संबंधित समस्त राशि नकद रूप में प्राप्त न की जाकर पे-आर्डर अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये प्राप्त की जावेगी। 5. खुली बोली न्यूनतम 100/- रुपये के गुणक में स्वीकार होगी परन्तु यह शर्त मोहरबन्द निविदा पर लागू नहीं होगी। 6. नीलामी समिति का अधिकार होगा कि स्वच्छ व प्रतियोगी बोली प्राप्त नहीं होने पर वह किसी भी समय बोली कार्य को स्थगित/निरस्त कर सकेगी। खुली बोली में न्यूनतम तीन बोलीदाता अवश्य होना चाहिये अन्यथा बोली स्थगित कर दी जावेगी। 7. फर्म द्वारा नीलामी : यदि किसी कम्पनी अथवा फर्म के नाम से बोली लगाई जाती है तो बोली प्रारम्भ होने से पूर्व ऐसी कम्पनी अथवा फर्म के रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एंव बोली लगाने वाले अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में फर्म/कम्पनी द्वारा पारित प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 8. लीज अवधि राशि एंव लीज राशि : भूखण्ड वार्षिक शहरी जमाबन्दी (लीज होल्ड) पर विक्रय किया जावेगा। लीज की अवधि 99 वर्ष की होगी। इस अवधि के बाद मण्डल की सहमति से लीज अवधि 99 वर्ष के अवधि बढ़ाई जा सकेगी। व्यवसायिक भूखण्ड अथवा सम्पत्ति पर लीज 5 प्रतिशत की दर से व्यवसायिक भूखण्ड पर प्रथम पांच वर्ष तक वार्षिक लीज राशि आधी दर से

देय होगी। आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिवस में अथवा नया वर्ष शुरू होने से 30 दिवस में पूर्व में वार्षिक लीज राशि की सात गुना (पूर्व में जमा एक वर्ष की लीज के अतिरिक्त) राशि एक मुश्त लीज राशि के रूप में जमा करायी जा सकती है। 9. व्यासायिक भूखण्ड 'जहां है जैसा है' के आधार पर विक्रय किया जावेगा। भूखण्ड पर यदि किसी प्रकार की बिजली/पानी की लाइन/पोल इत्यादि लगा हुआ है तो उसकी जानकारी राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दी जायेगी। उसके हटाने का खर्च स्वयं केता वहन करेगा। इस बाबत् काई शर्त मण्डल को स्वीकार्य नहीं होगी। 10. भूखण्ड का पंजीयन :— विक्रय किये गये भूखण्ड की लीज डीड उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता कार्यालय द्वारा संबंधित केता के पक्ष में सम्पूर्ण विक्रय राशि जमा होने के 30 दिवस में करवाना अनिवार्य होगी। 11. भूखण्ड पर निर्माण :— क्रय किये गये भूखण्ड लीज डीड जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि में निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा। तीन वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य नहीं करवाने पर नियमानुसार शारित जमा कराने के पश्चात् आगामी दो वर्ष में निर्माण कार्य करवाना अनिवार्य होगा। अर्थात् यदि भूखण्ड क्रय करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में पूरा निर्माण नहीं किया जाता है तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त माना जावेगा एंव राजस्थान आवासन मण्डल उस भूखण्ड को भार मुक्त मानते हुये कब्जा ले सकेगा एंव आवंटी अथवा बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई राशि राजस्थान आवासन मण्डल के हक में जब्त की जा सकेगी एंव बोलीदाता को इसके लिये किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा। निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही कराना होगा तथा शहरी निकाय के प्रचलित भवन निर्माण विधियों के मान दण्डों का ध्यान रखा जायेगा। निरस्तीकरण एंव भूखण्ड जब्ती की अपील राज्य सरकार के पास की जा सकेगी। राज्य सरकार के निर्णय की राजस्थान आवासन मण्डल पर बाध्यता होगी। 12. स्थानीय प्राधिकरण के बिल्डिंग बाईलॉज अपनाते हुए और सम्बंधित प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद ही निर्माण कार्य करवाना होगा। 13. नीलामी के बोलीदाता के साथ केवल एक व्यक्ति को प्रवेश दिया जावेगा। 14. अन्य शर्तें प्रपत्रानुसार एंव मण्डल नियमानुसार मान्य होंगी। 15. लीज राशि व एकमुश्त लीज राशि पर नियमानुसार सर्विस टैक्स देय होगा। 16. अधिक जानकारी के लिए सम्बंधित आवासीय अभियंता के कार्यालय में सम्पर्क करें।

आवासीय अभियन्ता

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड प्रथम,
सेक्टर 11, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर
फोन : 02912700180

उप आवासन आयुक्त,

राजस्थान आवासन मण्डल वृत द्वितीय, सेक्टर 11,
चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर
फोन : 02912711912